भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3262

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

3262 श्री .सु. वेंकटेशन:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं और बच्चों के लिए अनेक प्रगतिशील कानूनों/कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच अभी भी कोई अंतर बना हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का पारदर्शी निष्पादन संपरीक्षा कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु कार्यान्वित सभी योजनाओं को तीन व्यापक मिशनों अर्थात (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हेतु मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण हेतु मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा,

देखरेख और कल्याण हेतु मिशन वात्सल्य में शामिल किया गया है । योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप–घटकों (i) 'पोषण' और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी संरचना, में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) मिशन शक्ति: इसमें महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक **'संबल' और 'सामर्थ्य'** शामिल हैं।

I. संबल - संबल घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं जिसमें **वन स्टॉप सेंटर(ओएससी)** शामिल है जो निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर तालमेल और समन्वय आधारित एकीकृत सहायता तथा सहयोग प्रदान करता है; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल),** शामिल है जो एक 24x7x365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जिसे ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत किया गया है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** योजना शामिल है जो घटते लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है; **नारी अदालत** शामिल है जो न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना और विवाद के समाधान का विकल्प, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता तथा सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करती है।

II. सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** जो केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे और दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला और स्वाधार गृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है),** यह दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है; **कामकाजी महिला छात्रावास (जिसका नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है),** यह शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देती है जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण**

केन्द्र (एनएचईडब्लू) – यह राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अंतर-क्षेत्रीय तालमेल की सुविधा प्रदान करता है तथा **राष्ट्रीय क्रेच योजना (जिसका नाम बदलकर पालना कर दिया गया है)** - इसका उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) मिशन मोड में शामिल है, जिसका उद्देश्य (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहयोग देना और संभालना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले बच्चों समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान तैयार करना (iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने लिए अवसर प्रदान करना (iv) तालमेल संबंधी कार्रवाई को मजबूत करना है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए क्रियान्वित प्रगतिशील कानूनों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम)

(ii) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) 2005

(iii) बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

(iv) लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012, वर्ष 2019 में संशोधित किया गया

(v) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015), वर्ष 2021 में संशोधित किया गया

(ख): मंत्रालय की सभी योजनाएँ केंद्र प्रायोजित हैं और इन योजनाओं का कार्यान्वयन एवं निगरानी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। हालाँकि, योजनाओं के सुचारू संचालन और उचित कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से की जाती है। निधियों के उपयोग की निगरानी, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र और राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) रिपोर्टों; जो व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली(पीएफएमएस) पर उपलब्ध होती हैं, के माध्यम से की जाती है।

(ग) एवं (घ): जी हां, नीति आयोग द्वारा 2020 में मिशन शक्ति और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 सहित महिला एवं बाल विकास क्षेत्र की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया गया था।

मूल्यांकन में आंगनवाड़ी सेवा योजना का प्रभाव संतोषजनक पाया गया। मिशन पोषण 2.0 के तहत, सामुदायिक जुड़ाव, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे क्रियाकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी और बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण एवं प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह आयुष पद्धति के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और कल्याण पर केंद्रित है ताकि ठिगनापन, दुबलापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। इस मिशन के तहत, जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को दूर करने के उद्देश्य से बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची- II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रालय ने मिशन शक्ति के अंतर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें देश के सभी जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना की कवरेज को बढ़ाना शामिल है जिसके लिए बहुक्षेत्रीय क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसी गतिविधियों पर खर्च अधिक किया जाता है जिनका लड़कियों में खेल को प्रोत्साहित करने, आत्मरक्षा शिविर, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने आदि पर सीधा असर पड़ता है। मंत्रालय ने एक प्रचालन मैनुअल भी तैयार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जिला स्तर पर सुझाए गए सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए एक विषयगत कैलेंडर शामिल है, जिसमें बालिकाओं के समग्र विकास एवं व्यापक सशक्तीकरण के लिए माहवार विशिष्ट विषय हैं और यह लड़कियों, उनके परिवारों तथा समुदायों की वर्ष भर भागीदारी सुनिश्चित करता है।

******